प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 17.04.2025

- **जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही।**
- **महिला संबंधी अपराध में थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए वाद सं0 105/2019 धारा 125(3)सीआरपीसी से संबंधित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, वाद सं0 105/19 धारा 125(3)सीआरपीसी ज्ञान कुमारी बनाम सुखदेव सिंह उर्फ पप्पू से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त सुखदेव उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 बाबू सिंह निवासी ग्राम अहिरानी थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 45 वर्ष के विरूध्द मा0 न्यायालय कानपुर देहात द्वारा भरण पोषण की राशि अदा न कर पाने के कारण एनबीडब्लू की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया। जिसकी पेशी दिनांक 19.04.2025 नियत है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए वारण्टी अभियुक्त सुखदेव उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 बाबू सिंह उपरोक्त को आज दिनांक 17.04.2025 को समय 09.15 बजे ग्राम अहिरानी थाना क्षेत्र शिवली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा वारण्टी अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

वारण्टी अभियुक्त सुखदेव उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 बाबू सिंह निवासी ग्राम अहिरानी थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 45 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री अभिषेक चौहान।

का0 927 भूपेन्द्र सिंह।